आपकी सरकार आपके द्वार

मार्गदर्शिका

पृष्ठभूमि

सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं पर ऐसा अनुभव किया गया है कि इन योजनाओं का पूर्ण लाभ लक्ष्य वर्ग तक नहीं पहुँच पाने के कारण आम जन के जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं हो पाया है। लोगों में अपेक्षा के अनुरूप विकासात्मक परिवर्त्तन नहीं होने से उनमें विक्षोभ उत्पन्न होता है तथा सरकारी तंत्र के प्रति अविश्वास की भावना पनपती है। यही विक्षोभ कभी–कभी उग्र रूप धारण कर हिंसात्मक स्वरूप ले लेता है। अतएव यह आवश्यक है कि उग्रवाद पभावित क्षेत्रों में विकास से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रभावी एवं व्यापक रूप से बल दिया जाय और स्थानीय निवासियों का विकास की प्रकिया में प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि इन क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र को अधिक संवेदनशील बनाया जाय एवं जनमानस में सरकारी तंत्र पर विश्वास बढ़ाने के लिए कारगर उपाय किए जाय। इस दृष्टिकोण से जिला एवं पंचायत स्तर पर विवाद एवं शिकायत निराकरण प्रणाली को भी अधिक सशक्त एवं प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है।

कार्यक्षेत्र

ऐसा पाया गया है कि उग्रवाद क बढ़ने की संभावना उन क्षेत्रो में अधिक होती है जहॉ–

(क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की बाहुल्यता हो।

(ख) निम्न साक्षरता दर हो ।

(ग) अधिक क्षेत्र में वनाच्छादन हो।

(घ) कृषक मजदूरो की बाहुल्यता हो ।

(च) बारहमासी सम्पर्क पथ का अभाव हो।

(छ) गरीबो रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों की बाहुल्यता हो।

(ज) उग्रवादी हिंसा का इतिहास हो ।

'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के लिए पंचायतो के चयन में उपर्युक्त मापदंड को आधार बनाया जाय।

राज्य सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित 8 जिले, 25 प्रखंड एवं 65 ग्राम पंचायतों में **''आपकी सरकार आपके द्वार''** कार्यक्रम चलाया जा रहा है। (सूची परिषिष्ट 'क' पर)

इनमें कार्यक्रम जारी रहेगा।

उद्देश्य

1. उग्रवाद से प्रभावित चयनित क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील बनाते हुए प्रभावकारी जनसहभागिता द्वारा विकासात्मक कार्यों को संकेन्द्रित कर संतृप्ति की स्थिति तक ले जाना ।
2. विवाद एवं शिकायत निराकरण प्रणाली को अधिक सशक्त एवं प्रभावकारी बनाना ।

रणनीति

1. चयनित क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों को संकेन्द्रित कर संतृप्ति की स्थिति तक ले जाना ।
2. विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में जनभागीदारी बढ़ाना।
3. कमजोर वर्ग विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं की सुरक्षा हेतु वैधानिक प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू किया जाना।
4. पंचायत प्रशासन को सुदृढ़ तथा प्रभावकारी बनाना।
5. प्रशासन को आम जनों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना एवं समयबद्ध ढ़ंग से उनसे सम्बंधित विवादों एवं समस्याओं का सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करना।
6. उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं का विशिष्ट अध्ययन एवं विश्लेषण करना।

योजना की मुख्य गतिविधियाँ

इस कार्यक्रम के अतर्गत निम्न प्रकार की मुख्य गतिविधियाँ ली जाएँगी :–

(क) क्षेत्र आधारित योजनाएँ

- ग्राम पंचायत के प्रत्येक गाँव एवं टोलों का सड़क से जुड़ाव
- सभी टोले में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता एवं निरतंरता
- चयनित क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए प्रारम्भिक/प्राथमिक विद्यालय की समुचित व्यवस्था एवं हर विद्यालय में मध्याह्न भोजन की सुविधा सुनिश्चित करना
- चयनित क्षेत्र में मापदंड के अनुरूप आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना
- सिंचाई क्षमता में वृद्धि
- गाँवों को विधुतीकरण की सुविधा मुहैया करना

(ख) व्यक्ति आधारित योजनाएँ

- गरीबी रेखा से नीचे के सभी व्यक्तियों को आवास की व्यवस्था
- महादलित परिवार को वासगीत जमीन की सुविधा मुहैया कराना
- वितरण योग्य उपलब्ध भूमि यथा भू–दान से प्राप्त भूमि, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम एवं सीलिंग से प्राप्त जमीनो का वितरण सुनिश्चित करना
- ग्रामीणों के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम का आयोजन करना
- प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था
- योग्य वृद्ध, विधवा एवं विकलांगो हेतु पेंशन
- सभी योग्य लाभार्थियों को छात्रवृति, पोशाक एवं साईकिल की सुविधा
- रोजगार के अधिकार की सुनिश्चयन
- स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देना
- सभी योग्य व्यक्तियों के लिए राषन (खाद्य सुरक्षा) की सुविधा
- गंशीर बिमारी (Chronic disease) से ग्रसित व्यक्तियों को सरकारी लाश की व्यवस्था
- प्रगतिशील किसानो को उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना

(ग) प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण
- ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत संसाधन केंद्र की स्थापना – चयनित क्षेत्र के ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना को जाय ताकि इसके माध्यम से सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार स्थानीय निवासियों के बीच की जा सके । साथ ही साथ पंचायत स्तर के महत्त्वपूर्ण आकड़ो के सग्रहण एव विश्लेषण का कार्य किया जा सके ताकि इसका लाभ स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एवं योजना निर्माण हेतु प्राप्त हो सके । प्रत्येक वर्ष पंचायत रिपोर्ट कार्ड का निर्माण भी पंचायत संसाधन केन्द्र के माध्यम से किया जाय ।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सभी महत्त्वपूर्ण पदों को भरा जाना

- ग्राम कचहरी को सशक्त बनाना
- प्रखंड/पंचायत प्रषासन के साथ आम जनों का सहज संवाद एवं संपर्क स्थापित करना

(घ) विवाद एवं शिकायत निराकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

- **जनता दरबार का आयोजन** – विकास के कार्य में गति लाने हेतु विवाद एवं परिवादो का निष्पादन तथा कमजोर वर्ग विषेष कर अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं पर हो रहे शोषण एवं अत्याचार संबंधित विषयों का निपटारा ग्राम पंचायत स्तर पर करने हेतु जनता दरबार का आयोजन किया जाय । जनता दरबार में स्थानीय मुद्दों एवं विवादो का सामयिक निष्पादन सुनिश्चित किया जाय । जनता दरबार में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो ताकि भूमि/जल/वन आदि से संबंधित विवाद, बेदखली, दखल दहानी, कमजोर वर्ग पर हो रहे अत्याचार इत्यादि से संबंधित मामले का निष्पादन तुरंत किया जा सके । जनता दरबार के तिथि का रोस्टर तैयार कर सभी संबंधितों को पूर्व से ही सूचित किया जाय एवं यह सुनिश्चित किया जाय कि दो माह बाद चयनित ग्राम पंचायत में फॉलोअप जनता दरबार आयोजित हो, जिसमें पूर्व में सूचीकृत स्थानीय परिवादो एवं समस्याओं के निष्पादन की स्थिति संसूचित किया जाय।
- **विशिष्ट मामलों की विशेष मानिटरींग** – जल, जंगल एवं जमीन से जुड़े विवाद तथा कमजोर वर्ग विषेष कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं महिलाओं पर हो रहे शोषण एवं अत्याचार से संबंधित विषयों के निष्पादन में जीरो टोलरेन्स पद्धति का अनुसरण किया जाना है। इस संबंध में थाना या अनुमंडल कार्यालय में हुए मुकदमो का विशेष अनुश्रवण किया जाय और संबंधित पदाधिकारी इस तरह के विवादो के निष्पादन हेतु संवेदनशील होकर तत्परता से कार्य करें । इस प्रकार के विवादो का न्यायालय में निष्पादन की भी स्थिति की विशेष समीक्षा की जाय ताकि उनका त्वरित **निष्पादन** कराया जा सके।
- **संवेदीकरण कार्यशाला/प्रशिक्षण का आयोजन** – समय–समय पर कार्यक्रम से जुड़े कर्मियों तथा आरक्षी संवर्ग के लिए संवेदीकरण कार्यशाला तथा प्रषिक्षण का आयोजन किया जाय ।

(ङ) सामाजिक/सामुदायिक सौहार्द हेतु खेल प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन

सामाजिक/सामुदायिक सौहार्द हेतु यह आवश्यक है कि ग्राम स्तर पर खेल प्रतियोगिता यथा कबड्डी, फुटबॉल इत्यादि तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा चैता, झूमर आदि लोक गीत/नृत्य का समय–समय पर आयोजन किया जाय ताकि स्थानीय निवासियों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाने का अवसर मिल सके ।

ऐसा प्रयास स्थानीय निवासियों को एक सूत्र में बॉधने का तथा सामाजिक दूरियों को पाटने का माध्यम बन सकता है ।

कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित क्षेत्रों में वर्ष में चार बार खेल प्रतियोगिता तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाय ।

(च) प्रचार–प्रसार

- विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार की कार्रवाई करना – इस कार्यक्रम के प्रचार हेतु व्यापक आई0 ई0 सी0 (Information, Education & Communication) की रणनीति अपनायी जाय। विभिन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आई0 ई0 सी0 हेतु प्रावधानित राशि का उपयोग कर पंचायत संसाधन केन्द्र (Panchayat Resource Centre) के माध्यम से स्थानीय निवासियों के बीच सरकारी कार्यक्रमो/योजनाओं का प्रचार– प्रसार किया जाय ताकि इन कार्यक्रमो के कियान्वयन में हर वर्ग के लोगो की भागीदारी बढ़े । प्रचार–प्रसार के दौरान स्थानीय निवासियों का यह भी जानकारी दी जाय कि कौन सी योजना का लाभ कहाँ से मिल सकता है ।

अनुश्रवणीय लक्ष्य एवं इनसे संबंधित विभाग एवं कार्यक्रम/योजनाएँ

अनुश्रवणीय लक्ष्य	संबंधित विभाग	कार्यक्रम/ योजनाएँ
(क) क्षेत्र आधारित योजनाएँ		
गाँवों का बारहमासी संपर्क पथ की सुविधा	ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग	एम.एम.जी.एस.वाई.– 500 से 1000 तक की आबादी वाले ग्रामों को वारहमासी संपर्क पथ से जोड़ना । महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक टोलो का सड़क से जुड़ाव करना ।
प्रत्येक टोलो में शुद्ध पेयजलापूर्ति की व्यवस्था	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	ग्रामीण जलापूर्ति योजना – प्रत्येक टोलो के 250 बसावट पर सार्वजनिक स्थल पर एक चापाकल एवं महादलित विकास योजना में महादलित के प्रत्येक टोले के लिए कम से कम एक

		चापाकल की सुविधा उपलब्ध कराना
1. शिक्षा का सर्वभौमोकरण (6–14) वर्ष के बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना । 2. प्रारम्भिक स्तर (कक्षा 1–8 के बच्चों का 100 प्रतिशत नामांकन) 3. सभी योग्य लाभार्थियों को छात्रवृति, पोशाक एवं साईकिल की सविधा	मानव संसाधन विकास विभाग अनुसूचित जाति/जन जाति कल्याण विभाग/ अति पिछडा एवं अन्य पिछडा वर्ग कल्याण विभाग/अल्पसख्यंक कल्याण विभाग	1. सर्व शिक्षा अभियान – प्रत्येक 1 कि0मी0 के अंदर के क्षेत्र में विद्यालय/वैकल्पिक विद्यालय की स्थापना 2. बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप कक्षा की व्यवस्था करना 3. बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षको की व्यवस्था करना 4. हर विद्यालय में मध्याहन भोजन की सुविधा एवं निरंतरता 5. सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना 6. सभी योग्य छात्र/छात्राओं को छात्रवृति की राशि नियमित रूप से उपलब्ध कराना
गाँव के प्रत्येक टोलो में आँगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना ।	समाज कल्याण विभाग	समेकित बाल विकास कार्यक्रम (ICDS) 500–1500 की आबादी में एक आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना । 150–500 की आबादी में एक मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की स्थापना ।
गाँवो में समुचित सिंचाई की सुविधा।	लघु जल संसाधन विभाग	बिहार भूजल योजना/मुख्यमंत्री आहर पाईन उन्नयन योजना के अंतर्गत सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना।
गाँवो को विद्यतीकरण की सुविधा मुहैया करना ।	ऊर्जा विभाग	राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत चयनित पंचायतो क गाँवो में मानक/कार्य योजना के आधार पर बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करना ।
(ख)व्यक्ति आधारित योजना		
सभी योग्य लाभार्थियों को शत प्रतिशत इंदिरा आवास उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास विभाग	इंदिरा आवास योजना – गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले प्रत्येक परिवार, विशेषकर अनुसूचित जाति/जन जति, मुक्त बंधुआ मजदूर को आवास की सुविधा प्रदान करना ।
महादलित परिवार का वासगीत जमीन की सुविधा मुहैया कराना ।	महादलित विकास मिशन	महादलित योजना के तहत चयनित क्षेत्र में वासहीन महादलित परिवारो को वासगीत भूमि उपलब्ध कराना ।
वितरण योग्य उपलब्ध भूमि	राजस्व एवं भूमि सुधार	सभी योग्य लाभार्थी, विशेषकर

यथा भू–दान से प्राप्त भूमि, गैर मजरूआ मालिक, गैर मजरूआ आम एवं सीलिंग से प्राप्त जमीनों का वितरण सुनिश्चित करना	विभाग	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति इत्यादि को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
ग्रामीणों के लिए कौशल विकास के कार्यक्रम	महादलित विकास मिशन/ ग्रामीण विकास विभाग	ग्रामीण स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे परिवारो /महादलित परिवारो के व्यक्तियो का दक्षता निर्माण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था
प्रत्येक घरो में शौचालय की सुविधा	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, लोहिया स्वच्छता योजना एवं महादलित विकास मिशन ।
योग्य वृद्ध, विधवा एवं विकलांगों को पेंशन	समाज कल्याण विभाग	1. इंदिरा गाधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना– गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के 65 वर्ष के ऊपर के व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन की सुविधा देना । 2. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना– गरीबी रेखा के नीचे की 40–64 वर्ष की विधवा को प्रतिमाह पेंशन का लाभ देना । 3. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना– गरीबी रेखा के नीचे के 18–64 वर्ष के ऐसे विकलांग जो 80 प्रतिशत विकलांगता से ग्रसित है उन्हें प्रतिमाह पेंशन का लाभ देना । 4. बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना– गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के 60–64 वर्ष के व्यक्तियों को प्रति माह पेंशन की सुविधा देना। 5. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना– गरीबी रेखा के नीचे के 18–65 वर्ष की विधवा जिसकी वार्षिक आय 60000 रू0 तक हो, को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा देना। बिहार राज्य विकलांग पेंशन योजना – वैसे विकलांग जो 40 प्रतिशत

		तक विकलांगता से ग्रसित है उन्हें प्रतिमाह पेंशन देना ।
रोजगार के अधिकार का सुनिष्चयन	ग्रामीण विकास विभाग	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम–इस कार्यक्रम के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के परिवार के वयस्क जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हो उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी उपलब्ध कराना ताकि वे अपने जीवन का निर्वाह कर सके एवं स्थानीय स्तर पर परिसम्पतियों का सृजन भी किया जा सके । महात्मा गॉधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी कार्यक्रम के अन्तर्गत लिये गये कार्यो में एक तिहाई महिलाओं की भागीदारी सुनिष्चित करना ।
स्वयं सहायता समूह का गठन एवं बैंक से जुड़ाव	ग्रामीण विकास विभाग	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना
योग्य परिवारो को राशन की सुविधा	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	सभी योग्य लाभार्थियों को राषन कार्ड, राषन कूपन तथा किरासन कूपन का वितरण जन वितरण प्रणाली के अधीन दूकान की उपलब्धता
गंशीर बिमारी से ग्रसित व्यक्तियों को सरकारी लाश की व्यवस्था	स्वास्थ्य विभाग	प्राप्त आवेदन के आधार पर गंशीर बिमारी से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्था
पगतिशील किसानो को उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	कृषि विभाग	मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना बीज ग्राम योजना प्रत्यक्षण के अंतर्गत उन्नत बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
(ग) प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण		
प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण ।	पंचायतो राज विभाग/ ग्रामीण कार्य विभाग	चयनित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण करना।

चयनित क्षेत्र में पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना	पंचायती राज विभाग/ जिला प्रषासन	चयनित क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत संसाधन केन्द्र का निर्माण करना।
ग्राम पंचायत स्तर पर सभी महत्त्वपूर्ण पदों को भरा जाना	सभी संबंधित विभाग	प्रभावी कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सभी महत्त्वपूर्ण पदों को भरा जाय ।
ग्राम कचहरी को सशक्त बनाना ।	पंचायतो राज विभाग	ग्राम कचहरी को सशक्त बनाने हेतु न्याय मित्र की नियुक्ति एवं पदस्थापन करना । ग्राम कचहरी द्वारा निष्पादित मामलों की समीक्षा करना।
ग्राम सभा को प्रभावकारी बनाना	पंचायती राज विभाग	नियमित ग्राम सभा का आयोजन एवं उन्हें प्रभावकारी बनाना।
प्रखंड/पंचायत प्रषासन के साथ आम जनों का सहज संवाद एवं संपर्क स्थापित करना	सूचना प्रावैधिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जिला प्रषासन	प्रखंड/पंचायत प्रषासन के साथ आम जनों के बीच सहज संपर्क के लिए वसुधा केन्द्र को सषक्त बनाना आम जनों के सुविधा हेतु जाति/ आवासीय/ आय प्रमाण पत्र, बी0पी0एल0 सूची/निर्वाचक सूची/विभिन्न प्रकार के पेंषन के लिए आवेदन पत्र/छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आदि से संबंधित प्रपत्र की उपलब्धता सुनिष्चित करना किसान हेल्पलाइन/ई शक्ति हेल्पलाइन से आम जनों का जुड़ाव सुनिष्चित करना
(घ) विवाद एवं शिकायत निराकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण		
महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन ।	समाज कल्याण विभाग/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/ गृह (विशेष) विभाग/ महिला विकास निगम	महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर हो रहे अत्याचार से संबंधित मामलों कों सूचीबद्ध कर विभिन्न विभागों के साथ समन्वय कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिष्चित करना। उन्हें वैधिक अनुदान एवं अन्य देय लाभ सुगमता पूर्वक दिलाना।
जमीन से जुड़े मामलो का 100 प्रतिशत निपटारा ।	राजस्व एव भूमि सुधार विभाग/जिला प्रशासन	जनता दरबार एवं पंचायत विकास शिविर का नियमित आयोजन कर विवादों/परिवादो का निष्पादन करना।

संवेदीकरण कार्यषाला एवं प्रषिक्षण	जिला प्रषासन	समय–समय पर कार्यक्रम से जुड़े कर्मियों तथा आरक्षी संवर्ग के लिए संवेदीकरण कार्यशाला तथा प्रषिक्षण का आयोजन किया जाय ।
(ङ) सामाजिक/सामुदायिक सौहार्द हेतु खेल प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम		
खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	कला, सांस्कृतिक एवं युवा कार्य विभाग	वर्ष में कम से कम चार बार खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं का आयोजन।
(च) प्रचार–प्रसार		
विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार की कार्रवाई करना	सभी संबंधित विभाग/ जिला प्रषासन	विभिन्न कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध आई0 ई0 सी0 हेतु प्रावधानित राशि का उपयोग कर पंचायत संसाधन केन्द्र (Panchayat Resource Centre) के माध्यम से स्थानीय निवासियों के बीच सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं का प्रचार– प्रसार किया जाय

कार्यान्वयन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु पंचायत स्तर पर एक स्वयंसेवक (पंचायत मित्र) प्रति माह 5000/– रू0 की दर से मानदेय पर रखे जाने का भी प्रस्ताव है जो जिला पदाधिकारी के प्रत्यक्ष नियत्रंण में कार्य करेगा । पंचायत मित्र के निम्नलिखित कार्य होगे :–

(क) पंचायत मित्र पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक के रूप में कार्य करना ।

(ख) 'आपकी सरकार आपके द्वार' कार्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ो का सग्रहण एवं आंकड़ो का विशलेषण करना ।

(ग) विभिन्न कार्यक्रमो के कार्यान्वयन का पंचायत स्तर पर अनुश्रवण करना ।

(घ) विभिन्न कार्यक्रमो के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पंचायत स्तर के कर्मचारियों एंव पंचायत प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित करना ।

(ङ) पंचायत स्तरीय समन्वय समिति का ससमय बैठक सुनिश्चित करना ।

(च) पंचायत संसाधन केन्द्र के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमो का प्रचार–प्रसार करना ।

(छ) पंचायत रिपोर्ट कार्ड के निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी सहयोग देना।

(ज) वसुधा केन्द्र के साथ समन्वय स्थापित करना

(झ) अन्य कार्य जो समय – समय पर आवंटित किए जाए।

पंचायत मित्र का चयन

आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत चयनित पंचायतों में एक पंचायत मित्र का अनुबंध के आधार पर नियोजन किया जाएगा । पंचायत मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किए जाने हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा । आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर या समकक्ष होगी । जिस पंचायत से पंचायत मित्र का चयन किया जाना है वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा । आवदेक की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष दिनांक 01.06.10 को रखी जा सकती है । मेधासूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा जो उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं उनके द्वारा प्राप्त किये गये अंक के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। अभ्यर्थी के द्वारा प्राप्त शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनके द्वारा विभिन्न स्तरो पर श्रणीवार उर्तीणता के आधार पर निम्नांकित वेटेज के आधार पर गणना की जायेगी :–

श्रेणी	मैट्रिक	इंटरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर
प्रथम श्रेणी	10 अंक	10 अंक	5 अंक	5 अंक
द्वितिय श्रेणी	5 अंक	5 अंक	3 अंक	3 अंक
तृतीय श्रेणी	3 अंक	3 अंक	2 अंक	2 अंक

इस नियुक्ति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र के आधार पर रोस्टर बिन्दु एवं आरक्षण बिन्दु का पालन किया जायेगा ।

समान मेघा अंक रहने पर ज्यादा उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी । संपूर्ण चयन प्रक्रिया जिला पदाधिकारी के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में की जायेगी ताकि पारदर्शी तरीके से नियोजन प्रक्रिया पूर्ण हो सके ।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति पूर्व से गठित है। (सूची परिषिष्ट 'ख' पर)

योजना एवं विकास विभाग इसका नोडल विभाग होगा, जो समय–समय पर मुख्य सचिव का आदेश प्राप्त कर बैठक की कार्रवाई करेगा ।

जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति पूर्व से गठित है । इस समिति की बैठक में चयनित प्रखंडो/पंचायतो का नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय एवं इसके फलाफल से योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाय । जिला स्तर पर जिला योजना कार्यालय नोडल कार्यालय होगा । (सूची परिषिष्ट 'ग' पर)

प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति पूर्व से गठित है । (सूची परिषिष्ट 'घ' पर)

इस समिति की बैठक में चयनित पंचायतो मे विभिन्न विकास विभागो के द्वारा चलायी जा रही कार्यक्रमो/परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाय।

पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण हेतु कोई समिति गठित नहीं है। यह आवश्यक है कि संबंधित ग्राम पंचायतो के मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाय । (सूची परिषिष्ट 'च' पर)

इसकी बैठक प्रत्येक माह में नियमित रूप से की जाय ।

योजना के निरंतर अनुश्रवण हेतु एक प्रभावकारी एम0 आई0 एस0 (Management of Information System) विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इसके कम्प्यूटराइज्ड आकड़ संग्रहित किये जा सके। इन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन से क्षेत्र एवं लोगों के विकास में कहॉ तक मदद मिला है, का पता लगाया जा सकता है साथ ही साथ विभिन्न योजनाओ का कार्यन्वयन का अनुश्रवण एवं गैप भरने के तहत आनेवाली गतिविधियों का भी अनुश्रवण किया जा सकता है।

वित्तीय प्रावधान

''आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम'' के लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर कन्वरजेंस के आधार पर विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करेंगे ताकि योजनाओं से जुडी लाभों को एकीकृत कर चयनित क्षेत्रों क स्थानीय निवासियों तक पहुॅचाया जा सके । ''आपकी सरकार आपके द्वार'' के तहत ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विशेष इंदिरा आवास योजना एवं ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा पंचायत सरकार भवन एवं पथ/पुलियो की योजनायें प्रत्येक वर्ष योजना मद से ली जा रही है एवं अन्य विभाग भी अपने विभागीय योजनायें इन पंचायतो हेतु ली जा रही है फिर भी योजनाओं के बीच समन्वय एवं कन्वरजेंस के बावजूद अगर कोई गैप रह

जाता है तो इसे पाटने के लिए संबंधित जिले के लिए ''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम के अन्तर्गत निधि की आवश्यकता के आलोक में राज्य स्तर से समय समय पर राशि का प्रावधान किया जाएगा।

इस राशि का उपयोग ऐसे कार्यो हेतु किया जाय जिसके लिए समान्यतया किसी भी योजना के अन्तर्गत राशि उपलब्ध नहीं हो पाती है एवं जिसका कार्यान्वयन अतिआवश्यक हो। इस राशि से समान्यतया अनुदान की योजना नहीं ली जायेगी, यदि अनुदान की योजना लेने की आवश्यकता हो तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय के उपरांत ही प्रशासी विभाग के द्वारा अनुदान के संबंध में निर्गत मापदंडो के अनुसार ली जा सकेंगी । यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस राशि का उपयोग चयनित ग्राम पंचायतो में ही हो। सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के विषयपरक प्रशिक्षण/संवेदीकरण कार्यशाला हेतु भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है । इस राशि के तहत ली जाने वाली योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति जिला पदाधिकारी के द्वारा दो जायेगी ।

इस राषि का उपयोग राज्य एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम से जुड़े विषयों के अध्ययन हेतु भी किया जा सकेगा।

कोषांग का गठन

आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास विभाग में एक कोषांग का गठन किया गया है ।

प्रगति प्रतिवेदन

राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु एक समेकित प्रपत्र निर्धारित किया गया है जो परिशिष्ट 'छ' के रूप में संलग्न है । प्रपत्र के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमो के संबंध में प्रतिवेदन हार्ड एवं साफ्ट कॉपी में विभाग को हर तीन माह में भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

परिशिष्ट 'क'

''आपकी सरकार आपके द्वार'' के तहत चयनित ग्राम पंचायतो की सूची

कमांक	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत
1	2	3	4
1	अरवल	कलेर	टेरी
		करपी	शहर तेलपा
2	पूर्वी चम्पारण	पताही	बखरी
			बलुआ जुलफेकाराबाद
			बतौना
		ढ़ाका	बरहरवा लखनसेन
			दलपत विशुनपूर
			भंडार
		पकड़ी दयाल	अजगरवा सिसहनी
			धनौजी
			चैता
3	गया	कोंच	अदई
			आंती
			तिनेरी
		टेकारी	संडा
			रूपसपुर
		खीजर सराय	कुड़वॉ
			जमुआवा
		इमामगंज	मल्हारी
			नौडीहा
			दुबहल
			मंझौली
			सलैया
		डुमरिया	काचर
			भंगिया
			भोकहां
			ननदई
			नरायाणपुर
		फतेहपुर	धरहराकला
			बारा
		बाराचटी	झाझ
			दिवनिया
4	जहानाबाद	जहानाबाद	सेवनन
			सिकरिया
			मान्दे बिगहा
			जामुक
			सुरंगपुर भवानीचक
5	मुगेंर	धरहरा	मताडीह

			ईटवा
			महगामा
			बंगलवा
			अजीमगंज
		टेरियाबांबर	बनहरा
			नोनाजी
		हवेली खड़गपुर	रमनकाबाद पश्चिम
			मुरादे
			गंगटा
			दरियापुर–1
			दरियापुर–2
6	पटना	नौबतपुर	साबरचक
		मसौढ़ी	भगवानगंज
		पालीगंज	सिगोड़ी
7	रोहतास	नौहट्टा	तिउरा खुर्द
		रोहतास	समहुता
		सासाराम	धौडाढ़
8	पश्चिम चम्पारण	बगहा–2	हरणाटाड़
			तरूअनवा देवरिया
			भड़छी
		बगहा–1	महीपुरा भतौड़ा
			नद्दा
			भैरोगंज
			लगुनाहा चौतरवां
		रामनगर	नौरंगिया दोन
			बनकटवा करमहिया
			बगही

परिशिष्ट 'ख'

राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति

1. मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2. विकास आयुक्त	सदस्य
3. प्रधान सचिव/सचिव ग्रामीण विकास विभाग/कृषि विभाग/ मानव संसाधन विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ पथ निर्माण विभाग/समाज कल्याण विभाग/ स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ अल्प संख्यक कल्याण विभाग/सहकारिता विभाग/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/गृह (विशेष) विभाग/ कला संस्कृति एवं युवा विभाग/सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग/ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/उर्जा विभाग/ लघु जल संसाधन विभाग	सदस्य
4. संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी	विशेष आंमत्रित सदस्य
5. प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग	सदस्य सचिव

परिशिष्ट 'ग'

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति

1.	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	आरक्षी अधीक्षक	सदस्य
3.	उप विकास आयुक्त	सदस्य
4.	अपर समाहर्ता	सदस्य
5.	असैनिक शल्यचिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
6.	जिला शिक्षा पदाधिकारी	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधीक्षक	सदस्य
8.	जिला कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
9.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी	सदस्य
10.	सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा	सदस्य
11.	जिला पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
12.	जिला कृषि पदााधिकारी	सदस्य
13.	जिला सहकारिता पदाधिकारी	सदस्य
14.	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी	सदस्य
15.	जिला आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य
16.	जिला खेल पदाधिकारी	सदस्य
17.	कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन	सदस्य
18.	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन	सदस्य
19.	कार्यपालक अभियंता, लघु सिचांई विभाग	सदस्य
20.	कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल	सदस्य
21.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल	सदस्य
22.	जिला योजना पदाधिकारी	सदस्य सचिव

परिशिष्ट 'घ'

प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण समिति

1.	प्रखंड विकास पदाधिकारी	अध्यक्ष
2.	अंचल अधिकारी	सदस्य
3.	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	सदस्य
4.	प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी	सदस्य
5.	प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	सदस्य
6.	प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी	सदस्य
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	सदस्य
8.	समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	सदस्य
9.	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी	सदस्य
10.	प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	सदस्य
11.	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	सदस्य सचिव

परिशिष्ट 'च'

पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति

1. मुखिया	अध्यक्ष
2. राजस्व कर्मचारी	सदस्य
3. जन सेवक	सदस्य
4. ए0एन0एम0	सदस्य
5. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
6. आशा कार्यकर्ता	सदस्य
7. पंचायत मित्र	सदस्य
8. पंचायत लेखापाल	सदस्य
9. रोजगार सेवक	सदस्य
10.प्रारम्भिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक	सदस्य
11.लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कर्मचारी	सदस्य
12.न्याय मित्र	सदस्य
13.विकास मित्र	सदस्य
14.पंचायत सचिव	सदस्य सचिव